वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते ...[illegible]...
दिनांक 24.12.25 को पेश हो।

24.12.25

वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते ...[illegible]...
दिनांक 29.1.26 को पेश हो।

28.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित

मौका रिपोर्ट अप्राप्त।

प्रार्थी वकील द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 341/1 ग्राम चिपड़ी में आवागमन का कटाण रास्ता विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 343 ग्राम चिपड़ी में पाये हेतु आवेदन पेश किया। कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 341/1 से जुड़े राजस्व गांव बाबत् राज्य सरकार को समर्पित राजकीय भूमि खसरा संख्या 605/341 में सार्वजनित आवागमन हेतु पृथक से चल रहे कदीमी रास्ता अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू. रा. अधि. अनवान सरकार बनाम चूनीदेवी आवेदन संख्या 311/2025 के तहत कदीमी चलायमान रास्ता इन्द्राज करने के आदेश श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा प्रदत्त किया जा चुका है, जिसकी जानकारी न्यायालय बहस के दौरान विप्रार्थी अधिवक्ता से होने पर अब अवलोकन से ज्ञात हुआ कि राजस्व ग्राम की राजकीय भूमि खसरा संख्या

...अधिकारी

250/2025

605/341 में आवागमन का प्रदत्त कदीमी रास्ता दर्ज होने के आदेश पारित होने से मुझ प्रार्थी को भी अपने खसरा संख्या 341/1 में आवागमन उसी कदीमी रास्ता से प्राप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में आवेदन सं. 311/2025 अनवान सरकार बनाम चूनीदेवी में प्रदत्त कदीमी रास्ता की सुविधा प्रार्थी को अपने ख.सं. 341/1 (नवीन ख.सं. 605/341) को भी प्राप्त हो जाने से अब इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है, जिसे इसी स्टेज पर विड्रो किया जाना चाहता हूँ। अतः प्रार्थी का आवेदन इस शर्त पर जरिये विड्रो खारिज किया जावे कि कदीमी रास्ते से सुविधा उपलब्ध हो गयी है यदि कदीमी रास्ता से भी प्रार्थी को अवरोधित भविष्य में किया जाता है, तो प्रार्थी प्रकरण को पुनः बरामद करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं है।

हमने प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर बहस एवं पत्रावली के अद्यतन में पाया कि प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन की इस्तदुआ के सन्दर्भ में खातेदारी खेत से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा कदीमी रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रकरण अनवान सरकार बनाम चूनीदेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2026 के जरिये कटाण मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो जाने से वह अपने इस आवेदन को आगे नहीं चलाकर सशर्त विड्रो करना चाहते है।

लिहाजा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का आवेदन इस शर्त पर जरिये विड्रो खारिज किया जाता है कि भविष्य में उक्त कदीमी चलायमान रास्ते से प्रार्थी को अवरोधित किया जाता है,तो प्रार्थी अपना उक्त आवेदन पुनः बरामद करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी